न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः– महेश गगोरिया , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या–31/2025 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

1. मनीष कुमार पिता श्री फूलचन्द , जाति धाकड़, उम्र 27 पेशा काश्त, निवासी भवानीपुरा, पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. श्रीमति शीलाबाई बेवा श्री फूलचून्द, जाति धाकड़, उम्र 48 पेशा काश्त, निवासी भवानीपुरा, पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. पुर्ति कुमारी पुत्री श्री फूलचून्द, जाति धाकड़, उम्र 21 पेशा काश्त, निवासी भवानीपुरा, पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थीगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

............विपक्षी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :– **श्री लालचन्द प्रजापत**
अप्रार्थी की ओर से :– **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः– 21.05.2025

–:आदेशः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम मौजा भैंसरोड़गढ़, प0ह0 भैंसरोड़गढ़,, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 55 खसरा संख्या 506, 507 कुल किता 02 कुल रकबा 2. 1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 506, 507 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थीगण के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौजा भैंसरोड़गढ़, प0ह0 भैंसरोड़गढ़,, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 55 खसरा संख्या 506, 507 कुल किता 02 कुल रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चि[illegible] किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय [illegible] पेश [illegible]। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत [illegible] 1000 –रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये [illegible] होकर जा.दी. दायरी [illegible] नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.05.27 13:44:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner